

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-9
संख्या-1597/छ:-पु0-9-19-20(10)(16)/88टी0सी0
लखनऊ: दिनांक: 04 जून, 2019

अधिसूचना

(शक्ति)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या-02 सन् 1974) की धारा-21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित सम सेमेस्टर परीक्षा/वार्षिक परीक्षा/बैक पेपर परीक्षा/विशेष बैक पेपर परीक्षा, जून-2019 के समस्त केन्द्रों के अधीक्षकों को, जैसा कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-17 सन् 1962) की धारा-2 के खण्ड (द्व) में परिभाषित है, दिनांक 04.06.2019 से 24.06.2019 तक की अवधि के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलायेंगे, नियुक्त करते हैं और उन्हें सम्बन्धित केन्द्रों, जिनके वे अधीक्षक हैं, की सीमा के भीतर के क्षेत्रों के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती हैं।


(भगवान स्वरूप)
सचिव।

संख्या-1597(1)/छ:-पु0-9-2019 तददिनांक:

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित, निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4, खण्ड-"ख" में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से

(वीरेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-1597(2)/छ:-पु0-9-2019 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
- (2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (3) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
- (4) सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (5) सम्बन्धित केन्द्र अधीक्षक (द्वारा- प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3)।
- (6) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 व गोपन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- (7) सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उनके अर्द्ध0शा0पत्र संख्या-अनु-4/2526/2019 दिनांक 27.05.2019 के संदर्भ में।
- (8) प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को ऑनलाइन निर्गमन हेतु।
- (9) गार्ड बुक।

आज्ञा से

(वीरेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।